

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. B/4016
III-10-40/78-VIII

Jabalpur, dated 28 August, 2024

The Copy of Madhya Pradesh Gazette (Ordinary) dated 16 August 2024 containing Notification issued u/s 12(1) of M.P. Civil Courts Act, 1958 is forwarded to ;

1. The Principal Secretary Government of M.P., Law & Legislative Affairs Department, Bhopal, for information;
2. Registrar Cum PPS of Honourable Acting Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before his Lordship;
3. The P.S. to Honourable to Shri Justice; High Court of M.P. Jabalpur/Indore/Gwalior, for placing the matter before his Lordship;
4. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for kind information and necessary action;
5. The Principal District and Sessions Judge **Sagar**;
6. District Judge (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior;
7. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. The Director/Additional Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
9. The Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary), Registrar M. (Confidential) for information;
10. The Data Entry operator Confidential Section for information and necessary action.
11. The Joint Registrar (Protocol), Administrative Officer (Checker), (Work and Infrastructure), (Budget) and (District Establishment) High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information.


28.08.2024

(RITURAJ SING CHOUHAN)

REGISTRAR (District Establishment)

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2024—श्रावण 25, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 जून 2024

क्र. ई-1-124-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भागसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम / वैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्रीमती प्रीति मैथिल (2009), अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.
2.	श्री वीरेन्द्र कुमार (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग.

3715

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2024

क्र. बी-3008-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे।

No. : B-3008-III-10-42-75.- The Civil Judge Junior Division, named in the column no. (3) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column no. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column no. (4) for holding link Court :-

TABLE

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Majhagwa (Satna)	Shri Saurabh Goswami, Civil Judge Junior Division, Chitrakoot	10 days

क्र. बी-3010-तीन-10-42-75-(सतना-मझगवाँ).- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-4134, दिनांक 22 जून 2023 के द्वारा श्री शैलेन्द्र उईके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सतना के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान सतना के अतिरिक्त मझगवाँ में प्रत्येक माह में 10 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, सतना में ही बैठक करेंगे. सतना-मझगवाँ श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है।

No. B-3010-III-10-42-75-(Satna-Majhagwa).- It is hereby directed that by Notification No. B.4134, dated 22 June 2023 issued by Madhya Pradesh High Court, Shri Shailendra Uikey, II AJ to I Civil

Judge, Senior Division, Satna who was directed to hold sitting at Majhawa for a period of 10 days in a month, in addition to his place of Posting Satna, will henceforth hold sitting at Satna only on all working days in a month. The Sitting of Satna-Majhagwa Link Court is hereby discontinued.

जबलपुर, दिनांक 27 जुलाई 2024

क्र. B-3231-तीन-10-40-78 (भाग-8).- मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक बी-5762-तीन-10-47-98 (भाग-6), दिनांक 29 नवंबर 2022, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 23 दिसंबर, 2022 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में सारणी में अनुक्रमांक 37 सिविल जिला सागर तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाई अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	सागर	सागर	8	सागर	7	सागर	10
		खुरई	3	खुरई	2	खुरई	3
		रेहली	2	रेहली	1	रेहली	1
		बण्डा	2	बण्डा	3	बण्डा	1
		बीना	2	बीना	1	बीना	2
		देवरी	2	देवरी	1	देवरी	1
		-	-	-	-	गढ़ाकोटा	1
		-	-	-	-	शाहगढ़	1
		-	-	-	-	केसली	1

No. B-3231-III-10-40-78-(pt-VIII).- In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No.19 of 1958) and the previous Notification No. B-5762-III-10-47-98-VI, dated 29 November, 2022 issued by High Court, which was

published in the Madhya Pradesh Gazette dated 23 December, 2022 the following amendment is made. In the said notification, in the table, for the Serial number 37 Civil District Sagar the following entries are substituted, namely :-

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Court of District Judges		Court of Civil Judges Senior Division		Court of Civil Judges Junior Division	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Sagar	Sagar	8	Sagar	7	Sagar	10
		Khurai	3	Khurai	2	Khurai	3
		Rehli	2	Rehli	1	Rehli	1
		Banda	2	Banda	3	Banda	1
		Bina	2	Bina	1	Bina	2
		Deori	2	Deori	1	Deori	1
		-	-	-	-	Garhakota	1
		-	-	-	-	Shahgarh	1
-	-	-	-	Kesli	1		

क्र. B-3232-तीन-10-42-75 (नीमच-रामपुरा).- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी-1620, दिनांक 13.04.2022, जहाँ तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) की श्रृंखला न्यायालय मनासा से रामपुरा (जिला नीमच) के संचालन से है, के कार्यदिवस प्रत्येक माह में एक सप्ताह के स्थान पर दो सप्ताह किये जाते हैं.

No. : B-3232-III-10-42-75(Neemuch-Rampur).- High Court Notification No. C-1620, dated 13-4-2022, so far as it relates to holding Link Court of Civil Judge (Junior Division) at Rampura from Manasa (District Neemuch), **The working days are now to be Two Weeks instead of one Week in a month.**

क्र. बी-3234-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. : B-3234-III-10-42-75.- The Civil Judge Junior Division, named in the column no. (3) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column no. (2) of

the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column no. (4) for holding link Court :-

TABLE

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rahatgarh (Sagar)	Shri Rahul Soni (Sr.) V Civil Judge Junior Division, Sagar	15 days

जबलपुर, दिनांक 29 जुलाई 2024

क्र. A-5588-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड), अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. : A-5588-III-10-42-75.- The Civil Judge (Junior Division), named in the column no. (3) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column no. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column no. (4) for holding link Court :-

TABLE

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarai (Singrauli)	Shri Ankur Tiwari II, Civil Judge Junior Division, Deosar.	Two Weeks

By order of Hon'ble Acting Chief Justice,

RITURAJ SINGH CHOUHAN, Registrar
(District Establishment).